



कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 1769/12-1(2)
सेवा में

दिनांक 02/12/2022::

विषय :- वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।
जनपद-रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाड़ा मरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर के निर्माण हेतु 0.1575 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/43416/2019

सन्दर्भ :- अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-1143(1)/X-3-21/1(90)/2021 दिनांक 10.09.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार/बिन्दुवार) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक-3977/16सी० दिनांक 07.11.2022 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जो निम्न प्रकार है-

बि.सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रुपये 1,46,400.00 (एक लाख, छियालीस हजार, चार सौ) मात्र की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से जमा किया जा चुका है। (संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं.-566 एवं भारत सरकार पत्र सं. 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. हेतु रुपये 1,03,478.00 (एक लाख, तीन हजार, चार सौ अट्ठहत्तर) मात्र की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से जमा किया जा चुका है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी सम्बन्धित वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-2)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं. 5-3/2007-एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों, के अनुसार एन.पी.वी. तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं.-एस. वी.-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती, की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्रापट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त देयकों का भुगतान (स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव व एन.पी.वी. की निर्धारित धनराशि) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही रुपये 2,49,878.00 (दो लाख, उन्चास हजार, आठ सौ अट्ठहत्तर) मात्र की धनराशि का पूर्ण भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया गया है। (संलग्नक-1 के अनुसार)

क्रमशः-2 पर

o/c

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। उक्त संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 10 से 16 पर संलग्न कर तथा ऑनलाईन अपलोड कर उच्च स्तर को प्रेषित किये गये हैं। उक्त संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न है। (संलग्नक-4)
7	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असांतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम करेगा, साथ ही निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार। (तीन सत्यापित प्रतियाँ में)

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या- 1769 /दिनांकित।

प्रतिलिपि 1:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

01C

कार्यालय अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग



उत्तराखण्ड शासन

रुद्रप्रयाग

UKHAND

Website: <http://pwd.uk.gov.in>

Fax: 01364-233204, E-mail ID: cepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या 3977 / 16 मीठ
सेवा में,

दिनांक 07/11/2022

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

विषय— वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/43416/2019 जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.1575 है० वनभूमि का गैर नानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ— उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1143(1)/X-3-21/1(190)/2021 दिनांक 10.09.2021।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की विन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है—

क्र०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार यथोचित वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु वांछित धनराशि रु० 1,46,400.00 मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 150896143416703 IFSC code UBIN0996335, Union Bank में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न— संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई०पी०सी०-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007 - एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा शर्त संख्या 2 के अनुपालन में इको क्लास के अनुसार 0.1575 है० वनभूमि एनपीवी की देय धनराशि रु० 1,03,478.00 मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 150896143416703 IFSC code UBIN0996335, Union Bank इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक-1)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेगी कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में एनपीवी मूल्य की दर में यदि बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग जमा करने के लिए बचनबद्ध है, संलग्नक-2।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या एस०वी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित	शर्त संख्या 1 व 2 के अनुसार (कुल धनराशि रु० 2,49,78.00 मात्र)

रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग

पंजीयन संख्या 2633

परामर्श 12-10-22

दिनांक 07/11/2022

	स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने सम्बन्धित प्रमाण पत्र पूर्व ही प्रस्ताव के साथ ऑन लाइन अपलोड किये जा चुके हैं, प्रति संलग्न है, संलग्नक-3।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख एवं प्रमाण पत्र पूर्व ही प्रस्ताव के साथ ऑन लाइन कर दिये गये हैं, प्रति संलग्न है, संलग्नक-4
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित प्रत्येक निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तृती परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पोधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मलवे का निस्तारण निर्धारित स्थल पर सुरक्षित तरीके से किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी, साथ ही उक्त स्थल को पुनर्जीवित करने हेतु वृक्षारोपण विभाग द्वारा किया जायेगा।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम करेगा, साथ ही निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उपरोक्तानुसार सभी शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार 05-71।

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि-

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

11/11/2022

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

प्रो. व. अ.

मल्लवाडा-भरहूर-श्यारी मोरमार्ग सेलानक
 से श्यारी गांव तक मोरमार्ग ①
 के निर्माण हेतु 0.77 हेठ वन प्रभिक
 गैर वनिकी कार्य हेतु लोठ निठ कि
 के प्रभावित

State Bank of India

Date 02/09/22

Received

From



On

Bank Union Bank of India

Branch Lodhi Complex Branch

Favoring Uttarakhand
 Campa

IFSC Code UBIN0905385

A/c No. 150896143416703

Account No. 249878.00

Amount ₹ 249878.00

Bank's Charges ₹ Govt Payment

Total ₹ 249878.00

(Rupees Two Lac Fourteen
 Minethousand Eight hundred
 Seventy Eight only)

PC Attested
 अध्यक्ष अभियन्ता
 ग्रामीण ऋण लो० नि० वि०
 रुद्रप्रयाग

[Signature]
 अधिकारी अभियन्ता
 ग० ग्र० लो० नि० वि०

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी०

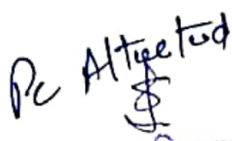
एन०पी०वी० की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिसूची अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा गरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी०

भू-वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



अधिसूची अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

PC Attested
सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

FORM-1
1.6
(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No---65

Dated-18/07/19

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.1575 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Provincial Division P.W.D. Rudraprayag (name of user agency) for Construction of Tilwara Bhardar Syari to Syari Village Motor road under District Sector (purpose for diversion of forest land) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of Syari gaon village (s) in Jakholi tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)

(Full name and official seal of the District Collector)

Attested
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय सड़ लोनि०सि०
रुद्रप्रयाग

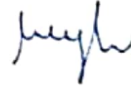
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mangesh Ghildiyal, I.A.S District Magistrate Rudraprayag on date 15.11.19... at time 11.00 AM at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 0.1575 hect for the Construction of Tilwara Bhardary Syari to Syari village Motor Road under District Sector (1.00 Km) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated: 15.11.19...



Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Rudraprayag

पे. आ. ए. ए. व.
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण स्वच्छता
रुद्रप्रयाग

19(A) प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- स्यांरी
तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग

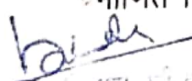
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी० परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.1575 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.1575 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~स्यांरी~~ द्वारा दिनांक 12.06/11 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ~~स्यांरी~~ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत अधिकारी
ह०/-
ग्राम सचिव



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उक्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

PC Attested

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लग्नाई 1 किमी०

ग्राम पंचायत २ भांर

क्रमांक	ग्राम समा में उपस्थित गरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
श्रीमति	सुखदेव पन्त प्रकाश जोशी धारी देवी विहारी राम मोहिता देवी	पुनारी देवी विहारी देवी विहारी देवी विहारी देवी विहारी देवी
श्रीमति	रीना देवी कृष्ण लाल रविश लाल दयाल लाल विहारी लाल	रीना देवी कृष्ण लाल रविश लाल दयाल लाल विहारी लाल
श्रीमति	सुरेश लाल सुरीला देवी महावीर लाल चमन लाल	सुरेश लाल सुरीला देवी महावीर लाल चमन लाल
श्रीमति	शान्ति देवी शान्ति देवी मनमोहन	शान्ति देवी शान्ति देवी मनमोहन
श्रीमति	राधा देवी गुडरी देवी सुनीता देवी सुनीता देवी	राधा देवी गुडरी देवी सुनीता देवी सुनीता देवी
॥	संजय देवी	संजय देवी

प्राधान्य प्रमाण पत्र

दि. २२/१२/२०२१

प्रमाणित

ह० / -
ग्राम प्रधान

PC मीस द्या
सहायक अभियन्ता
प्रांतीय सज्ज लो० नि० वि०
कडप्रायण

"समझौता ज्ञापन" 1.10

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधार जिनकी भूमि तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज दिनांक 25/06/18 को निष्पादित किया गया है।

1. यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
2. यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधार जिनकी भूमि मार्ग निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान प्रकीर्ण सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
3. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके अतिरिक्त स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अविलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

नाम भूमिधार

हस्ताक्षर

नाम-	हस्ताक्षर
1. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
2. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
3. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
4. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
5. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
6. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
7. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
8. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
9. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
10. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
11. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
12. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
13. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
14. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
15. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
16. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
17. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
18. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
19. (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)

ह० पटवारी / मो:

PC Allest-
(हस्ताक्षर)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग